समाहरणालय, मधेपुरा
(जिला शस्त्र शाखा)
-: आदेश :-

इस कार्यालय के ज्ञापांक 1835/श0, दिनांक 09-09-2013 के द्वारा मधेपुरा जिलान्तर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को अपने-अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराने तथा बायोडाटा विहित प्रपत्र में समर्पित करने हेतु दिनांक 04.10.2013 एवं 05.10.203 की तिथि निर्धारित करते हुए आम सूचना जारी की गयी थी। नैसर्गिक न्याय के तहत छूटे हुए अनुज्ञप्तिधारियों को अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराने हेतु पुनः 19-10-2013 की तिथि निर्धारित की गई। उसके वावजूद **श्री एस0एम0शैफुल्ला पे0 श्री एस0एम0ए0कादिर सा0 नुरुल्लाहपुर उर्फ योगीराज थाना चौसा जिला मधेपुरा** द्वारा शस्त्र का भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया एवं बायोडाटा समर्पित नहीं किया गया, जिस कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक 250/श0, दिनांक 12.12.2013 के द्वारा शस्त्र नियमावली-1962 के नियम-63 एवं अनुज्ञप्ति की शर्त्त-9(ए) का उल्लंघन मानते हुए इनके नाम से निर्गत **एन.पी.बोर रायफल अनुज्ञप्ति सं0-01/2004(चौसा थाना)** जिस पर शस्त्र धारित नहीं है, को तत्कालिक प्रभाव से निलंबित करते हुए अनुज्ञप्तिधारी से स्पष्टीकरण पूछा गया था, परन्तु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्पष्टीकरण अब तक समर्पित नहीं किया गया है और न ही अपना कोई पक्ष रखा गया है। स्पष्ट है कि अनुज्ञप्तिधारी अपना पक्ष रखने के प्रति उदासीन हैं। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि लोक सभा आम चुनाव-2014 को मद्देनजर रखते हुए इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 68/श0, दिनांक 03.03.2014 के द्वारा मधेपुरा जिलान्तर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को संबंधित थाना में उपस्थित होकर अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन दिनांक 14.03.14 एवं 15.03.14 को कराने का हेतु आम सूचना जारी की गई थी। अंचल अधिकारी, चौसा एवं थानाध्यक्ष, चौसा के संयुक्त प्रतिवेदन पत्रांक 118 दिनांक 19-03-14 तथा अंचल अधिकारी, पुरैनी/ थानाध्यक्ष, पुरैनी के संयुक्त प्रतिवेदन पत्रांक 134 दिनांक 19-03-14 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पुनः भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया है। इस तरह अनुज्ञप्तिधारी को पर्याप्त अवसर दिया जा चुका है।

थानाध्यक्ष, पुरैनी ने अपने पत्रांक 286/14 दिनांक 22.03.14 के द्वारा अनुज्ञप्तिधारी के शस्त्र अनुज्ञप्ति को रद्द करने की अनुशंसा की है। संचिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अनुज्ञप्तिधारी की शस्त्र अनुज्ञप्ति वर्ष 2006 तक नवीकृत है एवं शस्त्र क्य कर प्रस्तुत करने की अवधि दिनांक 31.12.2004 तक निर्धारित की गयी थी, परन्तु उनके द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्दर शस्त्र क्य कर प्रवृष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही अवधि विस्तार हेतु कोई आवेदन पत्र समर्पित किया गया है। 10 वर्ष बीत जाने के वावजूद शस्त्र क्य कर प्रस्तुत नहीं किया जाना यह दर्शाता है कि इन्हें शस्त्र की आवश्यकता नहीं है और जान-माल का भी कोई खतरा नहीं है। यह अनुज्ञप्ति प्राधिकार के आदेश की अवहेलना के साथ-साथ अनुज्ञप्ति की शर्त्त का उल्लंघन एवं अनुज्ञप्तिधारी के मनमानेपन का द्योतक है।

अतएव थानाध्यक्ष, पुरैनी से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में शस्त्र अधिनियम-1959 की धारा-17(3) के अन्तर्गत **श्री एस0एम0शैफुल्ला पे0 श्री एस0एम0ए0कादिर सा0 नुरुल्लाहपुर उर्फ योगीराज थाना चौसा जिला मधेपुरा** के नाम से निर्गत **एन.पी.बोर रायफल अनुज्ञप्ति सं0-01/2004(चौसा थाना)** को तत्कालिक प्रभाव से "रद्द" किया जाता है। श्री शैफुल्ला को आदेश दिया जाता है कि वे अपना मूल अनुज्ञप्ति पुस्त जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा में पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर जमा करना सुनिश्चित करेंगे। उक्त आदेश का तामिला थानाध्यक्ष, पुरैनी अपने स्तर से भी अनुज्ञप्तिधारी को करायेंगे।

जिला शस्त्र दंडाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मूल अनुज्ञप्ति पुस्त जमा करने पर कार्यालय में संधारित अनुज्ञप्ति पंजी एवं अनुज्ञप्ति पुस्त में "रद्द" प्रवृष्टि करवा कर हस्ताक्षर कर देंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

ह0/-
जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 242 /विधि, मधेपुरा, दिनांक 29.4.14,

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज/ जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा/ जिला सूचना अधिकारी, मधेपुरा/ थानाध्यक्ष, पुरैनी/ चौसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : **श्री एस0एम0शैफुल्ला पे0 श्री एस0एम0ए0कादिर सा0 नुरुल्लाहपुर उर्फ योगीराज थाना चौसा जिला मधेपुरा** को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

29/04/14
जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।